



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 अगस्त, 2021

श्रावण 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या 1400/बयालिस-2021

लखनऊ, 5 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0—264

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल 29 जुलाई, 2021 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आज्ञा से,
कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1400/XXXXII-2021, dated August 5, 2021:

No. 1400/XXXXII-2021

Dated Lucknow, August 5, 2021

IN exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (U.P. Act no. 8 of 2021), the Governor is pleased to appoint July 29, 2021 as the date on which the said Act shall be deemed to have come into force.

By order,
KALPANA AWASTHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 228 राजपत्र-2021-(457)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० खेल-2021-(458)-500 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।